

**माननीय मंत्री, वाणिज्य—कर विभाग, बिहार पटना की अध्यक्षता में दिनांक 20 सितम्बर 2022 को जीएसटी एवं अन्य कराधान संबंधी मामलों पर आयोजित संवाद में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से समर्पित प्रमुख बिन्दुएं**

**1. एक मुश्त समाधान योजना (OTS) -**

जीएसटी के लागू होने के पश्चात् सरकार ने वैट एवं वैट पूर्व टैक्स प्रणाली के अन्तर्गत लंबित विभिन्न मामलों के निपटारे हेतु दो बार एकमुश्त समाधान योजना पेश की थी जो कि काफी सफल रही और काफी हद तक पुराने लंबित मामलों का निष्पादन भी हुआ लेकिन मार्च 2020 से आयी कोविड महामारी की वजह से बहुत सारे करदाता उक्त OTS योजना का लाभ नहीं उठा सके और काफी मामले आज भी विभिन्न स्तरों पर लंबित पड़े हैं ।

हमारा सरकार से निरन्तर अनुरोध रहा है कि अंतिम बार के लिए एक बार पुनः उक्त योजना को लाया जाए ताकि जो व्यावसायी लाभ नहीं उठा सके हैं उन्हें एक बार मौका मिले और शेष बचे हुए मामलों में से अधिकाधिक का निपटारा हो सके ।

**2. जीएसटी कार्यान्वयन से संबंधित**

i. ऐसा देखने में आ रहा है कि इन दिनों राज्य कर विभाग ने ऐसे करदाताओं के यहाँ निरीक्षण करना शुरू कर दिया है जिन्होंने अपने कर दायित्व का पूरा का पूरा समायोजन इनपुट टैक्स क्रेडिट से किया है और कोई भी राशि नगद भुगतान नहीं की है ।

इस सम्बन्ध में हमारा सुझाव होगा कि इस तरह की कार्रवाई के पूर्व करदाता को एक नोटिस के द्वारा कारण बताने की सुविधा अवश्य दी जानी चाहिए और समुचित जवाब मिलने पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए अन्यथा विभाग निरीक्षण करने की ओर बढ़ने के लिए स्वतंत्र हो जाए ।

ii. ऐसा देखने में आ रहा है कि वर्ष 2017-18 / 2018-19 की स्क्रूटनी/ऑडिट के दौरान इन्पुट क्रेडिट का मिलान GST 2A के अनुसार किया जा रहा है जबकि प्रथम वर्ष होने के कारण अधिकांश करदाताओं द्वारा काफी भूल हुई थी। यदि ऑफिसर को आवश्यकता महसूस होती हो तो करदाता से बीजक की मांग अवश्य की जा सकती है लेकिन GSTR 2A के अनुसार उक्त करदाता का इन्पुट मिलाना सर्वथा उचित नहीं होगा। यूं भी GSTR 2A की कल्पना Oct- 2019 के बाद की गई है जिसपर उचित दिशा—निर्देश जारी करने की आवश्यकता है।

- iii. जीएसटी कार्यान्वयन के प्रथम दो वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में छोटी—मोटी भूल का होना स्वाभाविक है क्योंकि एक नई कर व्यवस्था होने के कारण करदाताओं को नियमों की पूरी जानकारी नहीं रही ।

सरकार ने ऐसा आश्वासन भी दिया था कि शुरूआती दो वर्षों के लिए करदाता को छोटी भूल के लिए उन पर किसी तरह की कारवाई नहीं की जाएगी लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि विभाग द्वारा 2017-18 एवं 2018-19 की स्कूटनी अथवा औडिट के दौरान नरम रूख नहीं अपनाया जा रहा है और छोटी—छोटी त्रुटियों के लिए दण्ड लगाया जा रहा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है ।

- iv. विभाग द्वारा जीएसटी की धारा 83 के तहत करदाता के बैंक खाते को प्रोविजनली अटैच करने के प्रावधान को भी एक सामान्य प्रक्रिया के तहत व्यवहार में लाया जा रहा है जिसे कि विशेष परिस्थितियों में ही लगाया जाना चाहिए ।
- v. यदि कोई करदाता विभाग को किसी तरह की जानकारी/स्पष्टीकरण/जवाब देना चाहता है तो वर्तमान में ऐसी कोई ऑफलाईन सुविधा प्राप्त नहीं है ।

हमारा सरकार से सुझाव होगा कि ऐसा दिशा—निर्देश दिया जाए कि करदाता को ऐसी व्यवस्था पावती के साथ उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

- vi. यदि माल के परिवहन के दौरान किसी भी प्रकार की कानूनी अवहेलना की वजह से दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है उस परिस्थिति में लगाए गए कर/अर्थ दण्ड का भुगतान परिवहनकर्ता के ID पर करवाया जाता है जिसकी वजह से भविष्य में सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता/खरीददार को उक्त रकम का समायोजन/रिफण्ड प्राप्त करने में काफी दिक्कत आती है ।

हमारा सुझाव होगा कि परिवहन के दौरान लगाए गए कर/अर्थदण्ड का भुगतान आपूर्तिकर्ता/खरीददार/प्राप्तकर्ता का ID पर ही करवाया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशा—निर्देश देने की आवश्यकता है ।

- vii. माल की आपूर्ति/वीजक जारी होने के पश्चात् दिया जाने वाला डिस्काउंट —

व्यवसाय के क्रम में आपूर्तिकर्ता द्वारा माल की आपूर्ति के पश्चात/वीजक जारी होने के पश्चात भी डिस्काउंट देना एक सामान्य प्रक्रिया है ।

ऐसा देखने में आता है कि विभाग द्वारा उक्त दिए जाने वाले डिस्काउंट के सन्दर्भ में नकरात्मक/सदेहात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है और करारोपण लगाने की सोच रहती है । इस सम्बन्ध में हमारा सुझाव होगा कि एक व्यवहारिक गाइडलाइन जारी करने की आवश्यकता है ।

### 3. GST कानून से संबंधित कुछ ज्वलंत समस्याएं

जीएसटी से जुड़े मामलों पर राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी कॉउन्सिल के द्वारा निर्णय लिया जाता है फिर भी व्यवसायियों एवं उद्यमियों के विभिन्न समस्याओं को बिहार चैम्बर आपके समक्ष रखता रहा है ताकि आपके माध्यम से हमारी बातें जीएसटी काउंसिल तक पहुँचायी जा सकें और उसका समाधान हो सके । इसी दिशा में जीएसटी से संबंधित कुछ ज्वलंत समस्याएं हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं जो निम्न है :-

- i. जीएसटी न्यायाधिकरण का गठन

सरकार को अविलम्ब GST Tribunal का गठन करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से करदाताओं को काफी परेशानी हो रही है । हरेक करदाता कर विवाद की परिस्थितियों में न्याय हेतु उच्च

न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता है। यद्यपि सरकार ने इस संबंध में प्रयास शुरू किए हैं लेकिन पाँच साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी GST Tribunal का गठन ना हो पाना बहुत कष्टप्रद है।

ii. **इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं रिटर्न में संशोधन की सुविधा हेतु नए रिटर्न फार्मूले को लागू करने पर पुनर्विचार**

इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी का आधार है और जीएसटी की पूरी अवधारणा इनपुट टैक्स क्रेडिट पर आधारित है और जब इसी से संबंधित प्रावधानों को गैर व्यवहारिक रूप दे दिया जाए तो निसंदेह परिणाम अच्छे नहीं होंगे।

आज के दिन देश का अधिकांश निम्न एवं मध्यम स्तर का करदाता जीएसटी को एक काला कानून के रूप में देखने लगा है और उसे हर समय भय सताते रहता है कि कहीं उससे भूल ना हो जाए। अपनी आर्थिक गतिविधियों पर समुचित ध्यान नहीं दे कर वो नियमों को ही देखने में लगा रहता है कि कहीं किसी तरह की चूक ना हो जाये और डंड एवं परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

जीएसटी के मूल स्वरूप में GSTR 1, GSTR 2 एवं GSTR 3 की व्यवस्था की गई थी एवं Provisional Input Tax Credit का भी प्रावधान था। यदि किसी भी कारण से किसी सप्लायर्स द्वारा रिटर्न फाईल नहीं किए जाने पर, यानि बीजक अपलोड नहीं किए जाने पर, प्राप्तकर्ता अपनी तरफ से उक्त बीजक को अपने द्वारा फाईल की जाने वाली GSTR2 में अपलोड कर सकता था लेकिन प्रारंभिक तकनीकी खामियों की वजह से मूल स्वरूप को ही तत्काल के लिए स्थगित कर दिया गया था जिसे कि बाद में पूरी तरह से नकार दिया गया।

तत्पश्चात जीएसटी में सुधार के क्रम में नंदन नीलकेनी जी के सुझावों के अनुरूप नए रिटर्न फार्मूले को स्वीकार किया गया था जिसमें कि रिटर्न में संशोधन एवं साथ ही साथ छूटे हुए बीजक (सप्लायर्स द्वारा रिटर्न फाइल नहीं करने पर क्रेता द्वारा अपनी तरफ से खरीद के बीजक का ब्योरा) को अपलोड करने की सुविधा को समाहित किया गया था लेकिन उक्त नए रिटर्न फार्मूले को लागू करने की तिथि को पहले तो कई बार विस्तारित किया गया और बाद में उसे भी नकार दिया गया।

जैसाकि ज्ञात हुआ है कि सरकार ने वित्तीय बिल 2022 के द्वारा Provisional Input Tax Credit के प्रावधान को ही हटा दिया है और आज के दिन वर्तमान नियमों के तहत व्यवसायियों को ITC लेने में बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि संबंधित नियम काफी कठिन बना दिए गए हैं। दूसरी ओर रिटर्न में किसी भी तरह के भूल को सुधारने का भी कोई विकल्प नहीं है। हमारा सरकार से सुझाव होगा कि नंदन नीलकेनी के नए रिटर्न फार्मूले को लागू करने के लिए पुनः विचार किया जाना चाहिए।

iii. **E-Way Bill**

A. 1 जनवरी 2021 से लागू नियम 138(10) के तहत E-way bill की वैधता की समय सीमा प्रत्येक 200 किलोमीटर के लिए 1 दिन कर दी गई है जिसकी वजह से काफी परेशानी हो रही है। इसे पूर्व की भांति प्रत्येक 100 किलोमीटर पर 1 दिन कर देना चाहिए।

B. सरकार ने E-way bill को ब्लॉक करने का प्रावधान कर दिया है जिसके तहत लगातार दो माह का रिटर्न फाइल नहीं होने पर E-way bill ब्लॉक कर दिया जाता है । उक्त 2 महीने का समय काफी कम है । इसे सामान्य श्रेणी के लिए 6 महीने की रिटर्न एंड कम्पोजिशन श्रेणी के लिए 2 त्रैमासिक की रिटर्न फाइल नहीं होने पर लागू किया जाना चाहिए ।

C. **E-Way Bill में मामूली विसंगतियों के कारण ईमानदार करदाताओं पर आर्थिक जुर्माना**

जीएसटी क अन्तर्गत ई-वे बिल में मामूली विसंगतियों पर भी बहुत अधिक जुर्माना लगाया जाता है जिससे भ्रष्ट आचरण में भी वृद्धि होती है । इस सन्दर्भ में सर्कुलर नं० 64/38/2018 GST दिनांक 14.9.2018 जारी किया गया जिसके अन्तर्गत छोटी-छोटी विसंगतियों के लिए (500+500) कुल 1000 रूपया जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया परन्तु उक्त सर्कुलर सभी लिपिक्रिय त्रुटियों को कवर नहीं करता है ।

अतः निम्नांकित विसंगतियों को भी इसके दायरे में समीक्षा किया जाना चाहिए :-

- चालान की तिथि में त्रुटि
- ई-वे बिल की समाप्ति (लेकिन वाहन सड़क पर था और यात्रा कर रहा था)
- ई-वे बिल में टैक्स रेट का गलत तरीके से चुना गया लेकिन ई-वे बिल एवं ई-इनवायस पर विवरण, मूल्य और एचएसएन का सही उल्लेख किया गया है ।

iv. **अचल संपत्ति के निर्माण पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट**

GST की धारा 17 (5) के अन्तर्गत अचल संपत्ति के निर्माण से जुड़े इन्पुट क्रेडिट के दावे को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। उद्योग अथवा व्यापार में अचल संपत्ति का निर्माण एक सामान्य घटना है। अचल संपत्ति का उपयोग उद्योग एवं व्यापार के परिसर के साथ में किया जाता है। साथ ही साथ अचल संपत्ति को व्यापारिक उपयोग के लिए किराये पर भी लगाया जाता है जिसपर जीएसटी देय होता है । अतः सरकार को अचल संपत्ति के निर्माण से जुड़े इन्पुट टैक्स क्रेडिट को स्वीकृत करने पर विचार करना चाहिए ।

v. **बिलम्ब शुल्क में कमी**

सरकार ने जीएसटी के शुरूआती दौर में ही उस समय के मुख्य रिटर्न फार्म GSTR-3B के लिए लागू बिलम्ब शुल्क में कमी की थी लेकिन अन्य फार्म यथा — GSTR-1, GSTR-4, GSTR-7, GSTR-9 एवं GSTR-10 के लिए लागू बिलम्ब शुल्क यथावत रह गए और वर्तमान में उन सभी पर 200/- रूपया प्रतिदिन (100 केन्द्र एवं 100 राज्य ) का शुल्क देय होता है ।

हमारा सरकार से सुझाव होगा कि जीएसटी के अन्तर्गत सभी फार्म पर विलंब शुल्क में कमी की जानी चाहिए और उसे GSTR-3B के लिए लागू विलंब शुल्क के समान ही कर देना चाहिए ताकि देरी होने पर भी व्यवसायी विलंब शुल्क की अधिकता की बजह से फाईल ही ना करे और एमनेस्टी स्कीम का इंतजार करें ऐसी प्रवृत्ति को प्रशय नहीं मिले ।

उदाहरणस्वरूप जिन करदाताओं द्वारा अपना निबंधन सरेंडर कर दिया जाता है लेकिन यदि कोई करदाता भूलवश GSTR-10 फाईल करना भूल जाता है उन्हें GSTR-10 के लिए भी 200 रूपया प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क का भुगतान करना पड़ता है जो कि काफी असहनीय होता है।

अधिकांशतः ऐसे करदाताओं की ना तो कोई करदेयता शेष रहती है और ना ही कोई स्टॉक शेष रहता है और वैसी परिस्थिति में 200 रूपया प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क का भुगतान काफी कष्टप्रद होता है । हमारा सरकार से सुझाव होगा कि GSTR-10 के लिए विलंब शुल्क को पूरी तरह से माफ कर देना चाहिए।

इसी तरह से वार्षिक रिटर्न GSTR-9 के लिए भी 200 रूपये प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क देय होता है जो कि काफी ज्यादा है जिसपर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

vi. **वार्षिक रिटर्न GSTR-9 के संदर्भ में एमनेस्टी स्कीम**

सरकार ने वार्षिक रिटर्न GSTR-9 के संदर्भ में बहुत ही उदार एवं सहयोगात्मक रूख रखा है और GST के प्रथम वर्ष 2017-18 से लेकर 2021-22 तक के हरेक वर्ष के लिए 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों के लिए GSTR-9 फाईल करने की वाध्यता से मुक्त कर दिया था लेकिन 1.5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं को नियत तिथि तक रिटर्न फाइल ना करने पर विलंब शुल्क में कोई रियायत नही दी गई और उन्हें 200 रूपये प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क भरना पड़ता है जो कि काफी अधिक है।

सरकार ने 2017-18 एवं आगे के सभी वर्षों के लिए नियत तिथि का विस्तार किया लेकिन 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के वर्षों के लिए नियत तिथि कोरोना काल के दौरान पड़ने के कारण बहुत सारे करदाता GSTR-9 फाईल नही कर सके और बाद में चाहकर भी विलंब शुल्क की अधिकता की वजह से फाईल करने के लिए उदासिन हो गए।

हमारा सरकार से सुझाव होगा कि वार्षिक रिटर्न के लिए भी चूक गए करदाताओं को एक मौका दिया जाना चाहिए और विलंब शुल्क को पूरी तरह से माफ अथवा कम कर देना चाहिए। ऐसा करने से सरकार को कुछ विशेष हानि नही होगी और करदाताओं का वार्षिक व्योरा सरकार के पास उपलब्ध हो जाएगा। नीचे लिखे तालिका से नियत तिथि का अवलोकन किया जा सकता है:—

2017-18	-	31-01-2020
2018-19	-	31-12-2020
2019-20	-	31-03-2021
2020-21	-	28-02-2022

vii. **अमनेस्टी स्कीम**

**रिटर्न फाईल करने पर इनपुट क्रेडिट के दावों को स्वीकार करना**

A. सरकार ने अभी तक तीन बार GST में अमनेस्टी स्कीम की घोषणा की है लेकिन तीनों बार विलंब शुल्क में माफी की गयी लेकिन धारा 16 (4) के तहत इन्पुट क्रेडिट प्राप्त करने की समय सीमा को नही बढ़ाया गया जिसकी वजह से करदाताओं में संशय की स्थिति है। सरकार को अविलंब अमनेस्टी स्कीम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट की समय सीमा को बढ़ा देना चाहिए।

B. **GSTR 1 के बिलम्ब शुल्क की माफी**

सरकार ने अपनी तीनों बार की लागू एमनेस्टी योजनाओं में GSTR-3B के लिए लागू बिलम्ब शुल्क को तो माफ कर दिया/कम कर दिया लेकिन GSTR-1 के लिए कोई भी

चर्चा नहीं की गई । चूंकि GSTR 1 के लिए लागू बिलम्ब शुल्क का भुगतान रिटर्न फाइल करने के समय नहीं करना होता है, करदाता को उसका अहसास तत्काल तो नहीं होता है लेकिन बाद में कर निर्धारण/स्कूटनी के समय पदाधिकारी द्वारा बिलम्ब शुल्क की मांग की जा सकती है । अतः सरकार को सभी तरह के करदाताओं के लिए GSTR 1 पर लागू बिलम्ब शुल्क को सितम्बर 2021 तक के लिए माफ कर देना चाहिए ।

C. **(एमेनस्टी स्कीम से अलग ) पूर्व में बिलम्ब शुल्क के भुगतान के साथ रिटर्न फाइल करनेवाले करदाताओं को बिलम्ब शुल्क का रिफंड प्रदान करना**

सरकार ने GSTR 3B रिटर्न के बिलम्ब फाइल करने पर लागू बिलम्ब शुल्क की माफी हेतु अभी तक तीन बार एमेनस्टी स्कीम की घोषणा की है लेकिन हरेक बार उन्हीं को इस योजना का लाभ दिया गया जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की थी और वैसे करदाता जिन्होंने योजना का इंतजार किए बिना बिलम्ब शुल्क के साथ रिटर्न फाइल कर दी उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया जो कि किसी भी तरह से उचित नहीं है ।

पिछले कई समय से इस संबंध में हम ध्यान आकर्षित करते रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है । सरकार को इस योजना का लाभ सभी को देना चाहिए अन्यथा इसका गलत प्रभाव लोगों पर पड़ता है । सरकार को बिलम्ब शुल्क के रूप में किए गए भुगतान का सभी करदाताओं को रिफंड कर देना चाहिए । इस पर गंभीरता से यथाशीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता है ।

4. **उद्योग से संबंधित**

i. **वैट/जीएसटी, प्रतिपूर्ति -**

बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत दी जाने वाली वैट/जीएसटी प्रतिपूर्ति हेतु समुचित राशि का प्रावधान अविलंब किया जाना चाहिए ताकि लंबित दावों का भुगतान यथाशीघ्र सम्भव हो सके । प्रतिपूर्ति राशि के नहीं मिलने से उद्योगों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ।

ii. **विद्युत संबंधित**

हमारे राज्य में वर्तमान में लागू विद्युत दर काफी अधिक है और पड़ोसी राज्यों यथा झारखंड एवं बंगाल से तुलना की जाए तो यह दर 1½से 2 गुणा अधिक होती है। उंची बिजली की दर की वजह से राज्य में अवस्थित उद्योगों की उत्पादन लागत पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा अधिक आती है और यही कारण है कि पड़ोसी राज्यों का उत्पाद आकर बिहार में बिक रहा है एवं राज्य के उद्योग बंदी की कगार पर जा रहे हैं।

इस संदर्भ में हमारा सरकार से सुझाव एवं आग्रह है कि बिजली की दर को पूर्णनिर्धारण करके पड़ोसी राज्यों के समकक्ष किया जाये अथवा उद्योगों को सब्सिडी के रूप में सहयोग राशि दी जानी चाहिए ताकि राज्य में उद्योगों को बन्द होने से बचाया जा सके।

उद्योगों को Level Playing Field देने के लिए One nation one tariff की भी बात हो रही है । इस संबंध में हमारा अनुरोध है कि इसे तुरन्त लागू किया जाए या बिहार सरकार Subsidise करके बिजली की दरों को पड़ोसी राज्य के बराबर करे ।

iii. पावर एंड फ्यूल

6% की दर से बिजली शुल्क बहुत अधिक है। यह पहले की तरह 0.2 पैसे प्रति यूनिट होना चाहिए या इसे वैटेबल बनाया जाना चाहिए और देय जीएसटी से समायोजित किया जाना चाहिए।

iv. राज्य सरकार तथा इसके विभिन्न उपक्रमों में होनेवाली खरीद में स्थानीय उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए :-

राज्य में उत्पादित सामग्रियों की सरकार के साथ-साथ सरकार के उपक्रम, सरकार द्वारा गठित एजेंसी सबसे बड़े खरीददार होते हैं। स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने तथा उन्हें प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर सामग्री खरीद अधिमानता नीति बनायी जाती रही है। हमारा सुझाव होगा कि इकाई के L1 नहीं रहने पर भी स्थायी इकाईयों को L1+ 10% अधिकता के मूल पर कम से कम 30% मात्रा स्थानीय इकाईयों से लिए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

साथ ही साथ स्थानीय इकाइयों को सरकार द्वारा घोषित सामग्री खरीद अधिमानता नीति का लाभ स्थानीय उद्यमियों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि विभिन्न विभागों द्वारा स्थानीय उद्योगों को रोकने के लिए निविदा में अनुभव एवं टर्नओवर की शर्तें लगा दी जाती है जिससे स्थानीय उद्योग वंचित रह जाते हैं। अतः यदि कोई विभाग द्वारा सरकार की खरीद नीति का पालन नहीं किया जाता है तो दण्ड का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।

पटना

दिनांक : 20-09-2022

\*\*\*\*\*